भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2748**
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

**नए एआई और डिजिटल शिक्षण संस्थान**

2748. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने नैतिक मूल्यों और कृत्रिम आसूचना के संबंध में अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल लर्निंग के महत्व को अभिनिर्धारित करते हुए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों में एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने की पहल की है। बजट 2025-26 में शिक्षा में एआई के लिए एक नए सीओई की घोषणा की गई। इसके अलावा, सितंबर 2023 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कृत्रिम मेधा (एनपीएआई) कौशल रूपरेखा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया था। यह रूपरेखा पूरे भारत में एआई कौशल संवर्धन के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है।

भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल तकनीक और कृत्रिम मेधा सहित उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

सिम में कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के एकीकृत उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएसडीई ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) युवाओं में डिजिटल और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 में एआई/एमएल, वेब 3.0 आदि जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ii) एनएपीएस के तहत, लगभग 60 निजी प्रतिष्ठान हैं जो वर्तमान में एआई से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुता प्रदान कर रहे हैं।

(iii) एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के माध्यम से एआई-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कोर्स 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एआईपीए)' शुरू किया है।

(iv) उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सभी सीटीएस प्रशिक्षुओं के लिए 7.5 घंटे का एक माइक्रो-क्रेडेंशियल कोर्स "कृत्रिम मेधा (एआई) का परिचय" विकसित किया गया है।

(v) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ प्लेटफॉर्म है, जो देश के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। सिद्ध विशेषज्ञता और अनुप्रयोग के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए एआई/एमएल और डिजिटल टेक

पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे प्रतिभागियों को एआई/एमएल तकनीक में सबसे आगे रहने में मदद मिलती है।

(vi) डीजीटी ने भविष्य के कौशल में एनएसटीआई और आईटीआई के छात्रों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ सहयोग किया है ताकि आगामी रोजगार के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित हो सके।

(ख): सरकार ने वैश्विक शोध और सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर नैतिक एआई पद्धतियों की आवश्यकता पर एक अध्ययन किया है। चूंकि 'ट्रस्ट' और 'एल्गोरिदम की सुदृढ़ता' एआई के बढ़ते उपयोग में दो प्रमुख कारक होने जा रहे हैं, इसलिए एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय नीति एआई के लिए बनाया गया कौशल ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि 'नैतिक एआई' प्रत्येक एआई पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। एआई कौशल रूपरेखा जिम्मेदार और नैतिक एआई का एक मॉडल बनाने के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और गोपनीयता शामिल है। यह एआई प्रणालियों में जिम्मेदार नवाचार, मानवीय निगरानी और पूर्वाग्रहों को कम करने पर भी जोर देता है। इसके अतिरिक्त, ढांचा भविष्य के लिए जिम्मेदार और व्याख्यात्मक एआई नवाचार सुनिश्चित करने के लिए शासी तंत्र और कानूनी ढांचे के विकास का सुझाव देता है।

*****